



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16487

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45373/2025

राम जियावन यादव एवं अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: विवेक कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याची द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और उक्त आवेदन पर संबंधित लेखपाल से दिनांक 25.06.2025 को रिपोर्ट मांगी गई थी, उपरोक्त आवेदन की प्रति रिट याचिका के पृष्ठ 27 पर संलग्न है। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 इस पर अति शीघ्र आवश्यक आदेश पारित करेंगे।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
4. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में, याची को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ उपरोक्त आवेदन (जिस पर टिप्पणियां की गई थीं) की फोटोकॉपी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। यदि याची ऐसा करते हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और उसके पश्चात अति शीघ्र तथा अधिमानतः दो सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से इसके गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करें, लेकिन किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने परस्पर विरोधी तर्कों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकलन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"